FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **शाहिद अहमद** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ वैशाली नगर, अलवर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी राज0 ऊंट एक्ट 2015**

प्रा0पत्र नम्बर 15/17/2024 दायर दिनांक 02.02.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी/प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या एच.आर.–74–बी.–9805 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना वैशाली नगर, अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी वैशाली नगर, अलवर द्वारा पत्रांक 216 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या एच.आर.–74–बी.–9805 के रजिस्टर्ड वाहन स्वामी से अनुसंधान किया जा चुका है तथा जप्तशुदा वाहन की प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। जप्तशुदा वाहन का छोड़ा जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी वैशाली नगर, जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या एच.आर.–74–बी.–9805 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। जिला कलक्टर अलवर	